न्यायमूर्ति एसएस सरोन और एसपी बनगढ़ के समक्ष

***सोहन लाल** -अपीलकर्ता*

बनाम

***हरियाणा राज्य**-प्रतिवादी*

CRA NO. D-291-DB of 2008

3 मार्च 2013

भारतीय दंड संहिता, I860 - धारा *302 - प्रतिकूलता - चिकित्सा और नेत्र संबंधी संस्करण - बरामदगी संदिग्ध - अपीलकर्ता और उसकी पत्नी पर हत्या का मुकदमा चलाया गया - अभियोजन कहानी - अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने मृतक को मूसल और कुदाल के हैंडल से मारा - पुलिस ने अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया पत्नी - प्रकटीकरण बयान दर्ज - कपास के खेतों से मूसल और कुदाल की संभाल की बरामदगी - डॉक्टर ने पाया कि ज्यादातर चोटें तेज धार वाले हथियार से लगी थीं - ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसकी पत्नी को बरी कर दिया - अपीलकर्ता ने अपनी सजा के* ख़िलाफ़ *किया - राज्य ने अपीलकर्ता को बरी करने के खिलाफ अपील की पत्नी - दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति - बरी किए जाने के खिलाफ अपील खारिज - आयोजित - चिकित्सा और नेत्र संस्करण के बीच विरोधाभास - गवाह की उपस्थिति संदिग्ध - बरामदगी संदिग्ध - बरी, को बरकरार रखा गया।*

अभिनिर्धारित किया गया कि वह PW5 के चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार और जांच रिपोर्ट के अनुसार Ex. पीजी, मृतक पर अधिकतर चोटें तेज धार वाले हथियार की थीं। पी डब्लू6 राधे शाम के नेत्र साक्ष्य के अनुसार। सोहन लाल (CRA No. D-291 -DB o 1'2008 में अपीलकर्ता) ने मूसल (घोटना/घोटा) टोर का इस्तेमाल किया, जिससे मृतक राज को चोटें आईं, जबकि राज बाला (सीआरएम नंबर 314-एमए 2008 में प्रतिवादी) ने टोर का इस्तेमाल किया। मृतक को चोट पहुँचाने के लिए कुदाल (कस्सी) का हत्था। इन दोनों हथियारों से आई आईसीएम राज की लाश पर चाकू के घाव या कटे हुए घाव नहीं लग सकते थे। पीडब्लू 6 की उपस्थिति पूरी तरह से संदिग्ध हो जाती है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, अगर उसने स्पष्ट रूप से बताया होता कि मृतक को तेज धार वाले हथियार से चोटें दी गई थीं। यहां तक कि पीडब्लू6 राधे शाम का आचरण भी बहुत संदिग्ध है। 1 यानी मौके पर नहीं उठे। यानी चुपचाप अपने घर में सो गया जो अविश्वसनीय है। जब उसने अपने भाई को हमलावरों द्वारा पीटते हुए देखा था, तो उसे आस-पास के लोगों को आकर्षित करने के लिए शोर मचाना आवश्यक था या उसे रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भागना चाहिए था। इस मामले में अपने परिवार के सदस्यों या पुलिस या गांव के सम्मानित लोगों को इसकी सूचना न देकर पीडब्लू 6 की चुप्पी, जहां उसे तत्परता के साथ काम करना चाहिए था, वास्तव में दिलचस्प है और इससे अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि वह उस समय घटना के स्थान उपस्थित नहीं था।

(पैरा 33)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यहां तक कि सोहन अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान के आधार पर हथियार की बरामदगी यानी कुदाल और मूसल (घोटना/घोटा) की बरामदगी भी पूरी तरह से संदिग्ध है। क्रमांक के अनुसार जांच रिपोर्ट के 23 उदाहरण, शव के पास पीजी, कुदाल का एक लकड़ी का हैंडल और दो टुकड़ों में एक लकड़ी का घोटा (मूसल) मिला। चूँकि ये लाश के पास पड़े थे, 11 सेमी मृतक राज के घावों से निकल रहे खून ने इन लेखों को छुआ, जिन्हें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था और बाद की रिपोर्ट Ex.PT और Ex.PT/1 में मानव रक्त पाया गया।

(पैरा 34)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जांच रिपोर्टEx. PG के क्रम संख्या 23 पर उल्लिखित हथियार सोहन लाल से बरामद नहीं किए गए थे (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) ; जबकि इसके विपरीत ये घटना स्थल पर ही पड़े हुए थे। जांच अधिकारी पीडब्लू9, जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की थी, ने पहले ही घटना स्थल से दो टुकड़ों में कुदाल और मूसल का हैंडल बरामद कर लिया था और उन्हें उन्हें जब्त कर लेना चाहिए था और इसके विपरीत, उन्होंने सोहन लाल (सीआरए नंबर डी-291-डीबी 1'2008 में अपीलकर्ता) और उनकी पत्नी राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी)की गिरफ्तारी तक इन वीडीसी मेमो को स्केल करने और जब्त करने का इंतजार किया।

(पैरा 35)

*इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ,*मेडिकल साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य एक-दूसरे के प्रतिकूल होने के कारण सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) के खिलाफ अभियोजन को पूरी तरह से संदिग्ध बनाना चाहिए।

(पैरा 41)

*इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ,*परिणामस्वरूप, 2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में सोहन लाल बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक से सोहन लाल अपीलकर्ता की अपील सफल होती है और इसके द्वारा अनुमति दी जाती है; दोषसिद्धि के आक्षेपित फैसले और उसकी सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है और उसे (सोहन लाल अपीलकर्ता) धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया है, जहां उस पर आरोप लगाया गया था,

संदेह के लाभ के आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

(पैरा 47)

हरियाणा राज्य की अपील करने की अनुमति देने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और 2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए को खारिज कर दिया गया है।

(पैरा 48)

बिक्रम सिंह गिल, CRANo में अपीलकर्ता के वकील। डी-291 - 2008 का डीबी।

एचएसरान, अतिरिक्त एजी हरियाणा, 2008 के CRANo.D-291-DB में प्रतिवादी और

2008 के CRM No.314-MA में आवेदक के लिए

न्यायमूर्ति एसपी बनगढ़ ,

(1) आपराधिक अपील यानी ईसीआरए नंबर ई)-219-डीबी 2008, जिसका शीर्षक सोहन लाल बनाम हरियाणा राज्य और 2008 का सीआरएम नंबर 314-एमए, जिसका शीर्षक स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राज बाला है, जिसमें सामान्य से अपील करने की अनुमति दी गई है। आक्षेपित निर्णय और आदेश इसलिए, इनका निर्णय इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता राधे शाम के चार भाई थे जिनके नाम हेम राज, हर भगवान, कृष्ण कुमार और राज कुमार थे। सभी शादीशुदा थे और अलग-अलग रह रहे थे। हेम राज खेतों में एक फार्म हाउस (स्थानीय भाषा में ढाणी) में रहता था। उनके पास सिरसा में एक आवास भी था। सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) उनके बटाईदार (स्थानीय भाषा में सिरी) हुआ करते थे। उस पर हेम राज का पैसा बकाया था। सोहन लाल (2008 के सीआर ए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) अपने परिवार के साथ करमगढ़ गांव के दिलावर सिंह के बेटे इकबाल सिंह के खेतों में बने कोठे (कमरे) में बटाईदार के रूप में रहने लगे।

(3) 17.10.2006 को, राधे शाम शिकायतकर्ता और उसका भाई हेम राज सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) से ऋण राशि की शेष राशि लेने के लिए लगभग 10:00 बजे गए थे, हेम राज ने सोहन से पैसे की मांग की थी लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता), जिसके बाद वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी पत्नी राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को मिट्टी का दीपक जलाने के लिए कहा और कहा कि हिसाब चुकता कर दिया जाए। तदनुसार, राज बाला (प्रतिवादी)

सीआरएम नंबर 314-एमए ऑफ 2008) ने मिट्टी का दीपक जलाया और सोहन लाल (सीआरए नंबर डी-29एलडीबी 2008 में अपीलकर्ता) ने कमरे से एक मूसल (स्थानीय भाषा में घोटा/घोटना) उठाया और आईसीएम राज के सिर पर वार किया। , उसे मारने के लिए। स्क्वैली, 11 सेमी राज (मृतक) नीचे गिर गया और राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को भी लेगऑफ़ पर चोट लगी! कुदाल के हैंडल के साथ 1 सेमी राज (मृतक)। दोनों 1ईएम राज (मृतक) को पीटते रहे. डर के मारे शिकायतकर्ता शीशम के पेड़ के पास खड़ा हो गया और अपने घर की ओर लेट गया। 11सी ने अपने पिता को घटना से अवगत कराया, जो हृदय रोगी और मधुमेह रोगी थे और चलने में असमर्थ थे। शिकायतकर्ता का भाई आई सी एम राज (मृतक) सुबह तक अपने फार्म हाउस (धानी) नहीं लौटा। इसके बाद, शिकायतकर्ता राधे शाम अपने भाई राज कुमार के साथ घटना स्थल पर गया और पाया कि 1 आईसीएम राज घायल होने के कारण इकबाल सिंह के कमरे में मृत पड़ा हुआ था। घावों से काफी खून बह चुका था। सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) डर के कारण मौके से भाग गया।

(4) राधे शाम के उपरोक्त बयान Lx.Pl के आधार पर, पुलिस द्वारा सोहन लाल (2008 के CRA नंबर D-291 -DB में अपीलकर्ता) और राज बाला (CRM नंबर, 314- में प्रतिवादी) के

खिलाफ औपचारिक एफआईआर Ex.PD दर्ज की गई थी। 2008 का एमए) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत (संक्षेप में 'आई पीसी') धारा 34 आई पीसी के साथ पढ़ा जाए। एएसआई राम मूर्ति ने जांच की, घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल की तस्वीरें खींचीं। मैंने यानी क्राइम टीम को भी बुलाया और घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी उठवाई, आईसीएम राज (मृतक) की लाश पर जांच रिपोर्ट एक्स.पीडी भी तैयार की और उसे शव परीक्षण के लिए शवगृह में भेज दिया।

(5) राम मूर्ति, एएसआई सहायक सोहन लाल (सीआरएएनओ डी-291-डीबी 2008 में अपीलकर्ता) और राज बाला (2008 के सीआरएम संख्या 3एल4-एमए में प्रतिवादी) और उनसे पूछताछ की। सोहन लाल (सीआरए संख्या डी-291 - डीबी 2008 में अपीलकर्ता) ने इकबाल सिंह के कपास के खेत में मूसल (घोटना/घोटा) और कुदाल को छुपाने के बारे में खुलासा बयान Ex.PP दिया। इसके अनुसरण में, उन्होंने उन वस्तुओं (घोटना/घोटा और हैंडल की कुदाल) को प्रकट स्थान से बरामद कर लिया, जिन्हें 'आरएम' की मुहर के साथ अलग-अलग पार्सल में सील कर दिया गया और वीडरसीसीओवी मेमो Ex.PR को अपने कब्जे में ले लिया। मैंने घटनास्थल का साइट प्लान भी तैयार कर लिया है। खून से सने सामान को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया और बाद की वीआईडीसी रिपोर्ट Ex.PT और Ex.PT/1 में पाया गया कि वे मानव खून से सने हुए थे।

(6) जांच पूरी होने पर, पुलिस स्टेशन बारागुढ़ा के स्टेशन I जू अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोहन लाल (सीआरए नंबर में अपीलकर्ता) डी-291-डीबी 2008) और राज बाला (सीआरएम संख्या 314-एमए 2008 में प्रतिवादी) ने आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है।

(7) पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को प्रदान की गईं। और यह मामला विद्वान इल्लाका मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, जहां सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और राज बाला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत आरोप तय किया गया था। (सीआरएम संख्या 314-एमए ओ 1'2008 में प्रतिवादी), जिसके अनुसार, उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया। परिणामस्वरूप, अभियोजन साक्ष्य तलब किया गया।

(8) मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने राजेश कुमार, आई आईसी के रूप में पीडब्लू एल सीता राम, कांस्टेबल के रूप में पीडब्लू 2, राजबीर सिंह, कांस्टेबल के रूप में पीडब्लू 3, मोहन लाल से पूछताछ की। कांस्टेबल/ड्रा उस्मान को पीडब्लू4, डॉ. जगदीप अग्रवाल को पीडब्लू5, शिकायतकर्ता राड हे शाम को पीडब्लू6, देविंदर कुमार को पीडब्लू7, राकेश कुमार, फोटोग्राफर को पीडब्लू8, राम मूर्ति, एएसआई को पीडब्लू9 और मनोज कुमार, एसआई को पीडब्लू 10 और बंद कर दिया गया। सबूत बाद में.

(9) अभियोजन साक्ष्य को बंद करने के बाद, सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-

291-डीबी में अपीलकर्ता) और राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच की गई, जिसमें, वे अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया, इस सहजता में निर्दोष होने और गलत फंसाने की दलील दी। सोहन लाल (2008 के सीआरए संख्या डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) ने अपना स्वयं का संस्करण दिया कि वह कभी भी दिलावर सिंह के पुत्र इकबाल सिंह का बटाईदार नहीं रहा और न ही कभी उसके खेतों में स्थित कोठे में रहा और न ही कभी उसके खेत में रहा। उसका गाँव. 1 यानी आगे कहा कि उनका इकबाल सिंह के क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें और उनकी पत्नी राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को संदेह के आधार पर इस मामले में गलत तरीके से शामिल किया गया है और वह मृतक से पैसों को लेकर कोई विवाद नहीं था, उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही मृतक से उनके नाम पर ऋण स्वीकृत कराने के लिए कहा था, जिसके लिए उन्होंने उनसे फॉर्म की 1111 सीडी प्राप्त की थी ताकि जब ऋण स्वीकृत हो जाए।

वह (मृतक) उस ऋण अमोर से राशि निकाल सकता है।" यानी फर्थ ने कहा कि शिकायतकर्ता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी।

(10) राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) ने भी सोहन 1, (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) द्वारा दिए गए संस्करण की तर्ज पर अपना संस्करण दिया था।

(11) सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर आईएल291-डीबी में अपीलकर्ता) और राज बाला (2008 के सीआरए नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को बचाव में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी गवाह की जांच किए बिना इसे बंद कर दिया।

(12) दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया और सजा का आदेश दिया, सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) को धारा 302 आई पीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। आजीवन कारावास और 5,000/- का जुर्माना देना होगा और इसका भुगतान न करने पर पांच महीने के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि, राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को आईपीसी की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1,000/- का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। ऐसा न करने पर एक माह की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चूंकि राज बाला (सीआरएम नंबर 314-एमए ऑफ 2008 में प्रतिवादी) ने 1-1/4 साल से अधिक समय तक कारावास की सजा भुगती थी, इसलिए उसे किसी अन्य आसानी से आवश्यक नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया था। 1 निचली अदालत में, उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया।

(13) सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता), जिस पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया गया था, से व्यथित होकर, उसे स्वीकार करने और उसके तहत दंडनीय अपराध से बरी करने की प्रार्थना के साथ यह अपील दायर की है। धारा 302 आईपीसी.

(14) राज बाला को बरी करने के आक्षेपित फैसले से व्यथित होकर, हरियाणा राज्य ने भी हरियाणा राज्य बनाम राज बाला शीर्षक से 2008 का अलग सीआरएम नंबर 314-एमए दायर कर इस पर आपत्ति जताई है और प्रार्थना की है कि राज बाला को अपराध का दोषी ठहराया जाए। आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय और उसके तहत दोषी ठहराया गया।

(15) सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-ओबी में अपीलकर्ता) और श्री आई आईएसएसरान, के लिए विद्वान वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा को सुना गया है और उनकी सहायता से विद्वान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है।

(16) PW1 राजेश कुमार, 1 ने साक्ष्य के तौर पर अपना हलफनामा Ex.PA प्रस्तुत किया।

(17) पीडब्लू2 सीता राम, कांस्टेबल ने भी साक्ष्य के रूप में अपना हलफनामा प्रस्तुत किया।

(18) पीडब्ल्यू 3 राजबीर सिंह, कांस्टेबल ने भी सबूत के तौर पर अपना हलफनामा फिक्स पीसी प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि पुलिस स्टेशन के एमआई आईसी से लेने के बाद एचआर एक्स.पीओ की प्रति विद्वान इलाक़ा मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी।

(19) पी डब्लू4 मोहन प्रथम, कांस्टेबल ने बताया कि 07.11.2006 को, उसने घटनास्थल का दौरा किया और राधे शाम द्वारा प्रदान किए गए सीमांकन के आधार पर सीलबंद साइट योजना एक्स.पीएच तैयार की।

(20) पीडब्लू5 डॉ.जगदसीपी अग्रवाल ने बताया कि 18.10.2006 को, वह सिविल I अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ.सीपीडीच के साथ थे। सिरसा ने आई सी एम राज की लाश का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं: -

खोपड़ी के ललाट क्षेत्र में 1.2 ईएमएस x 0.5 सेमी कटा हुआ घाव;

चोट क्रमांक और औसत दर्जे के नीचे हल्के ललाट क्षेत्र पर 2.2 ईएमएस x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव;

3.2 ईएमएस x 0.5 सेमी चोट संख्या 2 के नीचे ललाट क्षेत्र पर और मध्य दाहिनी ओर कटा हुआ घाव;

4. चेहरे के दाहिनी ओर 5 ईएमएस x I सेमी का कटा हुआ घाव, नाक के पार्श्व भाग से लेकर ठुड्डी के मध्य तक फैला हुआ है, जिसमें होंठ और जबड़ा दोनों शामिल हैं। निचली हड्डियाँ टूट गईं (ऊपरी जबड़ा और जबड़ा);

5. चेहरे के दाहिनी ओर कई खरोंचें मौजूद थीं, माथे के नीचे की हड्डी दब गई थी और फ्रैक्चर हो गया था (पार्श्विका, ललाट, मैक्सिलरी हड्डी, मेम्बिबल के साथ) मस्तिष्क के नीचे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और खून मौजूद था। दाहिनी ओर की कक्षा टूट गई और नेत्रगोलक फट गया;

6.6 ईएमएस x 2.5 ईएमएस घर्षण दाहिनी ओर छाती पर पार्श्व में;

7. खोपड़ी के ललाट क्षेत्र पर 2 ईएमएस x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव;

8. बाएं निचले पैर के मध्य टिबियल क्षेत्र पर पूर्वकाल में 1.5 ईएमएस x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव;

9. दाहिने घुटने पर सामने की ओर 5 ईएमएस x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव;

10. दाहिने मध्य टिबियल क्षेत्र पर दस या दो इंच दाहिने पैर पर 1 सेमी x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव;

11.दाहिनी बांह पर 2 ईएमएस x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव;

12. बाएं कंधे के डेल्टॉइड क्षेत्र पर 2 ईएमएस x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव

(1) पटेला के नीचे दाहिने घुटने पर 2 ईएमएस x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव।

(21) पीडब्लू5 ने आगे बताया कि खोपड़ी और खोपड़ी स्वस्थ थे और जैसा कि वर्णित है, कशेरुक स्वस्थ थे। झिल्ली और मस्तिष्क स्वस्थ थे; स्पाइनल कोड नहीं खुला. उन्होंने आगे कहा कि दीवारें, पसलियाँ और उपास्थियाँ स्वस्थ थीं; फुस्फुस का आवरण स्वस्थ था और स्वरयंत्र और श्वासनली पीली थी। मैंने यह भी बताया कि दोनों फेफड़े स्वस्थ थे, पेरीकार्डियम स्वस्थ था, हालाँकि, हृदय स्वस्थ था और बायीं ओर के कक्ष में तरल रक्त था। 1 यानी आगे बताया गया कि मुंह ग्रसनी और अन्नप्रणाली पीले थे, पेट और इसकी सामग्री स्वस्थ थी जिसमें 300 मील अर्ध-पचा हुआ भोजन सामग्री थी; छोटी आंत और उसकी सामग्री स्वस्थ थी और उसमें काइम था। पीडब्लू5 ने आगे कहा कि बड़ी आंत और उसकी सामग्री स्वस्थ थी और उसमें मल पदार्थ था; जिगर और प्लीहा पीले पड़ गए थे; दोनों गुर्दे स्वस्थ थे; मूत्राशय स्वस्थ और खाली था और पीढ़ी के अंग और बाह्य जननांग स्वस्थ थे।

(22) पीडब्लू5 ने आगे बताया कि इस मामले में मृत्यु का कारण, उनकी राय में, महत्वपूर्ण अंगों पर चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमा था, जो प्रकृति में मृत्यु-पूर्व थे और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। 1 यानी आगे बताया गया कि चोटों और मृत्यु के बीच का समय परिवर्तनशील था और मृत्यु और शव परीक्षण के बीच 12 से 24 घंटों के भीतर था। मैंने आगे गवाही दी कि उन्होंने शव परीक्षण करने के बाद पुलिस को एक पुरुष का अच्छी तरह से सिला हुआ शव, शव परीक्षण रिपोर्ट Ex.PE की प्रतिलिपि और चोट के निशान दिखाने वाला चित्र Ex.PE/l के साथ जांच रिपोर्ट Ex.PG और सीलबंद पार्सल सौंप दिया। इसमें आठ मुहरें हैं जिनमें मृतक के कपड़े हैं। 1 यानी यह भी गवाही दी कि उन्होंने पुलिस आवेदन Ex.PH पर शव परीक्षण किया था। लाश से उतारे गए शर्ट Ex.Pl, अंडरवियर Ex.P2 और कंबल (चादर) Ex.P3 को पुलिस को सौंप दिया गया

उनके द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में जो इस गवाह के बयान के दौरान खोला गया था। इस गवाह को उसके बयान के दौरान लाठी एक्स.पी.4 और मूसल (घोटना/घोटा) एक्स.पी.5 भी दिखाया गया

था। बताया गया कि मृतक के शरीर पर इन लाठियों और मूसल (घोटना/घोटा) से चोट लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(23) पीडब्ल्यू 6 राधे शाम ने गवाही दी कि 17.10.2006 को, लगभग 10:00 बजे, उसका मृत भाई 11 सेमी राज सोहन 1.31 (सीआरए नंबर I में अपीलकर्ता) - 291 से पैसे लेने के लिए करमगढ़ गांव में इकबाल सिंह के घर गया था। -डीबी 2008), जहां वह रहता था और वह (पीडब्लू6) उसके साथ था। उन्होंने आगे बताया कि सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) ने अपनी पत्नी राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को 1 आईसीएम राज के साथ हिसाब-किताब करने के लिए मिट्टी का दीपक जलाने के लिए कहा। 'इसके बाद, सोहन लाल अपीलकर्ता ने एक मूसल (घोटना/घोटा) उठाया और उसका वार हेम राज के माथे पर कर दिया और हेम राज गंभीर रूप से नीचे गिर गया। 1 यानी आगे गवाही दी कि राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) ने भी अपने भाई 1 लेम राज को कुदाल के हैंडल से पीटा था, जिससे उसके पैर में चोट लग गई और वह हैरान हो गया और अपने भाई को बचाने के लिए आगे नहीं आ सका और वह एक तरफ हो गया। एक शीशम के पेड़ के पीछे और फिर वह वापस आया और वापस आकर उसने अपने पिता को घटना से अवगत कराया। मैंने आगे कहा कि वह हृदय रोगी है और उसके पिता भी मधुमेह के रोगी हैं और उसकी पत्नी ने उसे कुछ दवाएँ दीं क्योंकि वह बेचैनी महसूस कर रहा था और वह सो गया और सुबह उसे पता चला कि उसका भाई अपने घर नहीं लौटा है। फिर, वह अपने भाई राज कुमार के साथ घटनास्थल पर गया और पाया कि उसका भाई मृत था और जमीन पर कुछ खून बिखरा हुआ था और दोनों आरोपी वहां नहीं थे।

(24) पीडब्लू6 ने आगे बताया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क किया; उनके द्वारा पंचायत भी बुलाई गई, जो मौके पर भी गई और पुलिस उन्हें रास्ते में मिली, जब वह उनके पास रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे और उन्होंने एक्स.पीआई को बयान दिया, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। 11सी ने आगे बताया कि पुलिस उनके साथ घटनास्थल पर गई और घटनास्थल से कुछ खून से सनी हुई मिट्टी उठाई और उसका पार्सल बनाया, जिसे सील कर दिया गया और वीडीसी मेमो एक्स.पीजे को जब्त कर लिया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। 11सी ने यह भी बताया कि जांच अधिकारी द्वारा तस्वीरें भी ली गईं, साथ ही पुलिस ने घटना स्थल का रफ साइट प्लान भी तैयार किया और उसके भाई की लाश का पोस्टमार्टम भी कराया।

(25) पीडब्ल्यू7 डीसीवेंडसीआर कुमार ने बताया कि सोहन लाल (सीआरए नंबर डी-291 - डीबी ऑफ 2008 में अपीलकर्ता) अपने लाथेर की मृत्यु से दो साल पहले एक बटाईदार के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने उनसे अग्रिम के रूप में 14527/- की राशि ली थी और उनके द्वारा 8187/- की राशि जमा की गई थी तथा उनसे 63 00/6400/- की राशि वसूल की जानी थी तथा इस तथ्य के बारे में Ex.PK को लिखना भी था। मैंने यह भी बताया कि सोहन लाल (सीआरए नंबर I में अपीलकर्ता) - 291-डीबी ऑफ 2008) ने अपने पिता से भैंस खरीदने के लिए ऋण देने का अनुरोध किया था और वह राशि वह चुकाएगा और उसके पिता ने सोहन को 1 12,000/- का ऋण दिया था। लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) को भैंस वीआईडीसी ऋण

फॉर्म एलएक्स.पीएल खरीदने के लिए। जिस पर सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर, डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) के अंगूठे का निशान है और उन्होंने वे कागजात पुलिस को सौंप दिए थे, जिन्हें वीडीसी मेमो एलएक्स.पीएम जब्त कर लिया गया था और उनका बयान भी दर्ज किया गया था।

(26) PW8 राकेश कुमार ने बताया कि 18.10.2006 को, उन्होंने Ex.P9 से Ex.Pl 4 तक की तस्वीरें लीं, जिनके नकारात्मक परिणाम Ex.P 15 से Ex.P20 तक हैं।

(27) पीडब्लू9 राम मूर्ति, एएसआई ने इस आसानी की जांच की। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने गांव साहूवाला के बस स्टैंड पर शिकायतकर्ता पूर्व पीएल राधे शाम का बयान दर्ज किया था, जहां वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद थे और पूर्व पीएल के बयान पर उन्होंने अपना समर्थन पूर्व पीएल/1 के आधार पर दर्ज किया था। , उसके बाद, औपचारिक HR Ex.Pl) पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किया गया था। मैंने आगे गवाही दी कि उन्होंने जांच रिपोर्ट Ex.PG तैयार की। साथ ही, घटनास्थल का कच्चा साइट प्लान एक्स.पी.एन. तैयार किया। 11सी ने आगे गवाही दी कि उसने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी उठाई थी, जिसे उसकी सील छाप 'आरएम' के साथ एक पार्सल में सील कर दिया गया था और उस पार्सल को वीडीसी रिकवरी मेमो एक्स.पीजे द्वारा जब्त कर लिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए एक्स.पी.एच. को आवेदन दिया था, जिसे शव परीक्षण के लिए सिविल 1 अस्पताल, सिरसा के शवगृह में भेज दिया गया था और उसी दिन, सुभाष चंदकर। 1 आईसी ने उसके सामने एक पार्सल पेश किया जिसमें मृतक के कपड़े थे और उस पार्सल को वीडीसी मेमो एक्स.पीओ जब्त कर लिया गया। उन्होंने आगे 19.10.2006 को गवाही दी। उन्होंने इस आसानी से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सोहन लाल (सीआरए नंबर I में अपीलकर्ता) - 291 -I)बी 2008) को प्रकटीकरण विवरण Ex.PP का सामना करना पड़ा। इसके बाद, उन्हें इकबाल सिंह के पास से स्पैडक और मूसल (घोटना घोटा) का हैंडल बरामद हुआ, जिसे 'आरएम' की मुहर के साथ सील कर दिया गया था। उन्होंने मूसल (घोटना/घोटा) और लाठी Ex.PQ और के रेखाचित्रों को भी हटा दिया/Ex.PQ/1 को क्रमशः तैयार किया गया और अलग-अलग पार्सल में बनाया गया, सील छाप 'RM' के साथ सील किया गया और उन पार्सल को vide रिकवरी मेमो Ex.PR के साथ जब्त कर लिया गया। उन्होंने 26.10.2006 को उसे भी अपदस्थ कर दिया। वह पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, जहां, देवेंद्र कुमार ने उनके सामने एक्स.पी.के. और एक्स.पी.एल. को पेश किया और उन्होंने उन वीडियोमेमो एक्स.पीएम को जब्त कर लिया। उसकी गवाही के दौरान लाठी एक्स.आई. और मूसल (घोटना/घोटा) एक्स.पी.5 के तीन टुकड़े अदालत में पेश किए गए।

(28) पीडब्लू10 मनोज कुमार एसआई/एसआई आईओ ने भी इसी तरह गवाही देकर पीडब्लू9 की गवाही दी।

(29) सोहन लाल (सीआरए संख्या डी-291 - 2008 के डीई में अपीलकर्ता) के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सोहन लाल न तो इकबाल सिंह के साथ बटाईदार रहे और न ही करमगढ़ गांव में उनके खेत में उनके कथित कोठे में रहते थे। 11सी ने यह भी तर्क दिया कि घटना के कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू6 राधे शाम शिकायतकर्ता का आचरण बेहद अप्राकृतिक है। यदि वह घटना स्थल पर मौजूद होता, तो उस स्थिति में, वह अपने मृत भाई इलम राज को बचाने के लिए हस्तक्षेप

करता या पूरी रात अपने घर में सोने के बजाय पुलिस को मामले की सूचना देता। मैंने यह भी तर्क दिया है कि नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और इसलिए, सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी- 291-डीबी में अपीलकर्ता) के लिए आक्षेपित निर्णय और आदेश को खारिज किया जा सकता है।

(30) दूसरी ओर, 2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में प्रतिवादी के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा ने तर्क दिया कि दोषी आयन के आक्षेपित फैसले और अपीलकर्ता सोहन लाल के आदेश को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ढंग से पारित किया गया था। और। इसलिए, इन्हें सीडी द्वारा समर्थित और पुष्टि की जा सकती है और समानता के आधार पर, राज बाला (सीआरएम नंबर 314-एमए 2008 में प्रतिवादी) सोहन प्रथम की पत्नी, अपीलकर्ता को भी दोषी ठहराया जाना और सजा दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने आम इरादा साझा किया था। उनके पति सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) ने 11 सेमी राज की हत्या की थी और इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि अपील की अनुमति दी जा सकती है और अपील की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए और राज बाला के खिलाफ बरी करने का फैसला सुनाया जाना चाहिए। (2008 के सीआरएम नंबर 3 14-एमए में प्रतिवादी) को अलग रखा जा सकता है और उसे भी आई लेम राज की हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और उसके पति सोहन लाल (सीआरए नंबर डी-291- में अपीलकर्ता) की तरह तदनुसार सजा सुनाई जा सकती है। 2008 का डीबी)।

(31) इस फैसले के पहले हिस्सों में पीडब्लू5 डॉ. जगदीप अग्रवाल के मेडिकल साक्ष्य को पुन: प्रस्तुत किया गया है। उस गवाही के मुताबिक हेम राज की लाश पर तेरह चोटें थीं. इनमें से ग्यारह चोटें कटे हुए घाव की थीं, जबकि केवल दो चोटें आईसी संख्या 5 और 6 खरोंच की थीं। निस्संदेह, चोटें संख्या 1 से 4 और 7 से 13 तक, जो कटे हुए घाव थे, केवल तेज धार वाले हथियार से ही झेले जा सकते थे।

(32) क्रम संख्या के अनुसार, जांच रिपोर्ट एक्स.पीजी के 10 में मृतक राज के माथे के दाहिनी ओर 11 सेमी चाकू के घाव का निशान था। दाहिनी आंख की पलक पर चोट लगी थी और दाहिनी ओर का जबड़ा चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। 'ठोड़ी के नीचे कटी चोट का निशान था; पसलियों पर नीले रंग की चोट (एनसीसीएलजीयू) थी; दाहिने हाथ की बांह पर चोट थी; बाएं कंधे पर चोट थी; गर्दन और पीठ पर चोटें थीं और इन चोटों से खून बह रहा था। इस जांच रिपोर्ट Ex.PG के अनुसार, घटना में तेज धार वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया था। मृतक के माथे के दाहिनी ओर मणि द्वारा किया गया घाव किसी तेज धार वाले हथियार से ही संभव है।

(33) तो, PW5 के चिकित्सीय साक्ष्यों के अनुसार और जांच रिपोर्ट Ex.PQ के अनुसार मृतक पर अधिकांश चोटें तेज धार वाले हथियार से थीं। पीडब्ल्यू 6 राधे शाम के नेत्र साक्ष्य के अनुसार, सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-29आई-डीबी में अपीलकर्ता) ने 11 सेमी मृतक राज को चोट पहुंचाने के लिए मूसल (घोटना/घोटा) का इस्तेमाल किया, जबकि राज बाला (सीआरएम नंबर 2008 में प्रतिवादी) ने मूसल (घोटा) का इस्तेमाल किया। 314-एमए ऑफ 2008) में मृतक को चोट पहुंचाने के लिए कुदाल (कस्सी) के हैंडल का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों

हथियारों से 11 सेमी के राज के शव पर चाकू के घाव या कटे हुए घाव नहीं लग सके. पीडब्लू 6 की उपस्थिति पूरी तरह से संदिग्ध हो जाती है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि मृतक को तेज धार वाले हथियार से चोटें दी गई थीं। यहां तक कि पीडब्लू6 राधे शाम का आचरण भी बहुत संदिग्ध है। 1 यानी मौके पर नहीं उठे. 1 यानी चुपचाप अपने घर में सो गया जो अविश्वसनीय है। जब उसने अपने भाई को हमलावरों द्वारा पीटते हुए देखा था, तो उसके लिए आस-पास के लोगों को आकर्षित करने के लिए शोर मचाना आवश्यक था या उसे घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। इस मामले में अपने परिवार के सदस्यों या पुलिस या गांव के सम्मानित लोगों को इसकी सूचना न देकर पीडब्लू 6 की चुप्पी, जहां उसे तत्परता के साथ काम करना चाहिए था, वास्तव में दिलचस्प है और इससे अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि वह उस समय उपस्थित नहीं था। घटना का स्थान.

(34) यहां तक कि सोहन लाल अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान के आधार पर, कुदाल और मूसल (घोटना/घोटा) के हथियार की बरामदगी भी पूरी तरह से संदिग्ध है। जांच रिपोर्ट के क्रमांक 23 के अनुसार पूर्व, शव के पास पीजी, कुदाल का एक लकड़ी का हैंडल और दो टुकड़ों में एक लकड़ी का घोटा (मूसल) मिला। चूंकि ये लाश के पास पड़े थे, इसलिए मृतक आईसीएम राज के घावों से खून निकल रहा था, उन्होंने इन वस्तुओं को छुआ, जिन्हें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था और बाद की वीआईडीसी रिपोर्ट Ex.PT और Ex.PT/1 में मानव रक्त पाया गया।

(35) इसलिए, जांच रिपोर्ट एक्स.पीजी के क्रम संख्या 23 में उल्लिखित हथियार सोहन लाल (2008 के सीआरए संख्या डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) से बरामद नहीं किए गए थे, जबकि इसके विपरीत, ये हथियार घटना के स्थान पर ही पड़े थे। जांच अधिकारी पीडब्लू9, जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की थी, ने पहले ही घटना स्थल से दो टुकड़ों में कुदाल और मूसल का हैंडल बरामद कर लिया था और उन्हें उन्हें जब्त कर लेना चाहिए था और इसके विपरीत, उन्होंने गिरफ्तारी तक इन वीडीसी मेमो को स्केल करने और जब्त करने का इंतजार किया। सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और उनकी पत्नी राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी)।

(36) इसलिए, सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) को बताया गया प्रकटीकरण विवरण एक्स.पीपी पूरी तरह से संदिग्ध हो जाता है। 'इस प्रकटीकरण विवरण Ex.PP को 19.10.2006 को तैयार किया गया था, जबकि, जांच रिपोर्ट 18.10.2006 को तैयार की गई थी, जिस तारीख को ये हथियार कथित तौर पर सोहन लाल (2008 के CRA नंबर D-291-DB में अपीलकर्ता) से बरामद किए गए थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार, अपने प्रकटीकरण बयान के अनुसार, Ex.PP पहले से ही पुलिस के साथ थे।

(37) जांच रिपोर्ट की तैयारी के समय पुलिस द्वारा कथित तौर पर इस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के मद्देनजर। पीजी दिनांक 18.10.2006, यह कहना कठिन है कि इन्हें सोहन लाल (2008 के सीआरए संख्या डी-291-एल)बी में अपीलकर्ता) द्वारा बरामद किया गया था। इसलिए, उनका खुलासा बयान Ex.PP पूरी तरह से संदिग्ध हो जाता है, साथ ही, अपराध के हथियारों की कथित बरामदगी भी। जब प्रकटीकरण विवरण Ex.PP और परिणामी अपराध के हथियारों की बरामदगी, कुदाल और मूसल (घोटना/घोटा) के हैंडल को खारिज कर दिया जाता है, तो किसी भी हथियार की बरामदगी में आसानी हो जाती है।

अपीलकर्ता, जीवित, राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) की ओर से अपराध में उसके द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए अपराध के हथियार को बरामद करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकटीकरण बयान का सामना नहीं करना पड़ा। यह इस प्रकार है , एक ऐसा मामला जहां सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) से अपराध का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ

था। रात का समय था और सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को रात के दौरान पहचाना नहीं जा सका। मिट्टी का दीपक, कथित तौर पर राज बाला (सीआरएम नंबर 314 में प्रतिवादी) द्वारा जलाया गया था। एमए ओ 1'2008) घटना स्थल से बरामद नहीं हुआ था। यह पीडब्लू6 द्वारा प्रतिपादित संस्करण को गलत साबित करता है। यदि यह संस्करण सत्य होता, तो पुलिस ने घटना स्थल से मिट्टी का दीपक बरामद कर लिया होता। इसलिए, इससे पता चलता है कि घटना स्थल पर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था और पीडब्लू6 अपने मृत भाई के हमलावरों की पहचान नहीं कर सका।

(38) चोट लगने की प्रकृति के लिए कुछ स्पष्टीकरण हो सकता है, जहां त्वचा के नीचे की सतह खोपड़ी की तरह कठोर होती है। मुझे पता है, वर्तमान मामले में, मृतक के शव पर अन्य कटे हुए घाव हैं, जो कुदाल और मूसल (घोटना/घोटा) जैसे कुंद हथियारों से संभव नहीं हो सकता है।

(39) इसके अलावा, कोई भी तेज धार वाला हथियार न तो बरामद किया गया और न ही कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार, यह काफी संदेहास्पद है कि मूसल (घोटना/घोटा) या फावड़े के हैंडल के उपयोग से मृतक को चोट पहुंचाई जा सकती है। "इस प्रकार, अपराध के कथित हथियारों के उपयोग को स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इन हथियारों की बरामदगी भी संदिग्ध है, क्योंकि जांच रिपोर्ट Ex.PCI में हथियार आईसी मूसल (घोटना/) 18.10.2006 को जांच रिपोर्ट एक्स.पीजी 1.एटर की तैयारी के समय घोटा) के दो टुकड़े और स्पाडीसी का हैंडल 11 सेमी राज की लाश के पास पड़े थे। प्रकटीकरण बयान के अनुसार, सोहन के पूर्व पीपी। लाल (सीआरए नंबर डी-291-डीबी ऑफ 2008 में अपीलकर्ता) पूरी तरह से संदिग्ध है।

(40) 'पीडब्ल्यू5 डॉ. जगडीसीसीपी अग्रवाल की इस आशय की गवाही कि 11 सेमी लंबे राज मृतक के शव पर मूसल (घोटना/घोटा) और स्पैडीसी के हैंडल से चोटें संभव हो सकती हैं, केवल एक अभिव्यक्ति है ('संभावना का नहीं, तथ्यों और परिस्थितियों को एक साथ ध्यान में रखते हुए, 1 आईसीएम राज मृतक को कुदाल के सूखे हैंडल से घायल करने का आरोप लगाना, वास्तव में, संदिग्ध है।

(41) इसलिए, चिकित्सीय साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य एक-दूसरे के प्रतिकूल होने के कारण सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) के खिलाफ अभियोजन को पूरी तरह से संदिग्ध बनाना होगा। यहां तक कि, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) को संदेह का लाभ दिया गया था और उसे लगाए गए फैसले से बरी कर दिया गया था।

(42) घटना स्थल कथित तौर पर इकबाल सिंह के स्वामित्व में है, जिसे सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और उसकी पत्नी राज बाला (सीआरएम

नंबर 314 में प्रतिवादी) को गवाही देने के लिए गवाह बॉक्स में नहीं लाया गया है। - 2008 के एमए) विवादित कोठे में रह रहे थे, जहां कथित तौर पर घटना हुई थी, साथ ही यह भी बताया गया था कि सोहन 1.अल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) उनके साथ बटाईदार के रूप में काम कर रहा था। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं है कि घटना स्थल पर सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और उनकी पत्नी राज बाला (सीआरएम नंबर 3 14-एमए में प्रतिवादी) का कब्जा था। 2008).

(43) यहां तक कि, सोहन 1, एआई (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि वह कभी भी इकबाल सिंह का बटाईदार नहीं रहा। हालाँकि, वह कभी भी इकबाल सिंह के खेतों में स्थित कथित कोठे में नहीं रहा। इकबाल सिंह की अनुपस्थिति में, यह मानना कठिन है कि जिस स्थान से 11 सेमी राज मृतक की लाश बरामद की गई थी, उस पर सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) और उसकी पत्नी राज बाला का कब्जा था। (2008 के सीआरएम संख्या 314-एमए में प्रतिवादी)। जब वे घटना स्थल पर कब्ज़ा करने वाले साबित नहीं हुए, तो उन्हें 11 सेमी राज के हत्यारे नहीं माना जा सकता, खासकर जब घटना स्थल पर पीडब्लू 6 की उपस्थिति भी संदिग्ध हो।

(44) फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की वीआईडीसी रिपोर्ट Ex.PT और Ex.PT/1 के अनुसार कुदाल और मूसल (घोटना/घोटा) के हैंडल के मानव रक्त से सने होने के बारे में कहने का कोई फायदा नहीं है। ये रिपोर्टें तभी प्रासंगिक हो सकती थीं, यदि ये कथित हथियार पड़े न होते

जांच रिपोर्ट एक्स.पीजी के क्रम संख्या 23 के अनुसार घटना का स्थान और इसके विपरीत, इन्हें सोहन लाल (2008 के सीआरए संख्या डी-291-डीई में अपीलकर्ता) और उनकी पत्नी राज बाला (प्रतिवादी) से बरामद किया गया होगा। 2008 के सीआरए नंबर 314-एमए में)।

(45) इससे यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) के खिलाफ उचित संदेह से परे अपनी सहजता साबित करने में विफल रहा है, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दोषसिद्धि और सजा का आदेश, जबकि, इसके विपरीत, उन्हें उनकी पत्नी राज बाला (2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए में प्रतिवादी) की तरह आईपीसी की धारा 302 I के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया जाना चाहिए था, जो आईपीसी की धारा 323 के तहत अपनी सजा से संतुष्ट रहीं और ऐसा किया। कोई अपील दायर न करें.

(46) इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने राज बाला (सीआरएम नंबर 314-एमए o1'2008 में प्रतिवादी) को धारा 302 1 पीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया। 'आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से उसे बरी करने के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का मेरे पास कोई आधार नहीं है। 'सोहन लाल (2008 के सीआरए नंबर डी-291-डीबी में अपीलकर्ता) की

दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश गलत है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही, हरियाणा राज्य की अपील में कोई योग्यता नहीं है और अपील करने की अनुमति उन्हें अस्वीकार कर दी जानी चाहिए।

(47) परिणामस्वरूप, सीआरए संख्या डी-291-डीबी 2008 में सोहन लाल बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक से अपीलकर्ता सोहन लाल की अपील सफल होती है और इसके द्वारा अनुमति दी जाती है; दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और उसके लिए सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है और उसे (सोहन लाल अपीलकर्ता को) आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया है, जहां, उसके संदेह के लाभ अनुसार, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर आरोप लगाया गया था, दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।

(48) हरियाणा राज्य के अपील करने के लिए बचाव के लिए अनुदान के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और 2008 के सीआरएम नंबर 314-एमए को खारिज कर दिया गया है।

जेएस मेहंदीत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।